

तारीख हुकम

से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः प्रतिवादी सं 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लई जा रही है। प्रतिवादी सं 3 की लामिल अलायन को लप से लोटी है। पूनः सम्मन ललवाना पैरा हे। वास्ते ललमी प्रतिवादी सं 3 हेतु प्रिसल दिनांक 21/05/19 को पैरा हे।

01/05/19

पत्रावली पैरा हे। कलाम उप  
सम्पन्न / पोस्टल नो. अधिकारी  
अस. कार्यालय ललवाना  
पत्रावली नो. जपान उपाय लामिल  
दिनांक 03/06/19 को पैरा हे।

03/06/19

वजुलाम फ्रीकन उप 0। प्रतिवादी सं 3 की लमील सम्मन लप से हेकल लोटी है। वास्ते सम्मन लमील उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः प्रतिवादी सं 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लई जाती है। पून में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वास्ते मुख्य परिदण PW1, PW2, PW3 पैरा किया जो अमिलेख पर लिया जाता है। वास्ते वृत्त प्रिसल दिनांक 10/06/19 को पैरा हे।

10/06/19

पत्रावली पैरा हे। वजुलाम फ्रीकन उप 0। वजुलाम उमयपक्ष ने उकल में मुताबिल राजीनामा दावा डिकी किया जाने का निर्दिष्ट किया।  
पत्रावली व पत्रावली पर उफसक्य राजस्व रेजॉर्ड एवं पैराशुदा राजीनामा का

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम से जारी हुए
------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------

अमलान्त किया गया जिनके अमलान्त से वकील वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाते पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा चौखण दस आराम की जाी की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम हमीरपुर कलां तहसील खण्डेला अक् स्थित कृषि भूमि ख. नं. 199, 201, 207, 212, 302, 306, 321 एका 4.53 हे. में उत्तिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा से उत्तिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जाकर 4/15 हिस्सा का वादीगण को एवं 1/15 हिस्सा का उत्तिवादी सं. 1 को खालेदार कारतकार घोषित किया जाता है। तन ग्राम सुखसिंह का बास तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 267, 288, 289 एका 1.97 हे. में वादी का नाम "गोपाल" के स्थान पर "रामगोपाल" हिस्सा 1/15 इलस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल दरामद हों। तदनुसार पन्ची डिक्री जारी हों। पत्राबली फ़ैसल शुमार होकर नुब्वर से लम हों तथा वाद तलमील दाखिल दफ्तर हो। बिगिषि खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फारस ट्रेक मुकाम खर्गोला  
 न इजलास श्री महेपाल सिंह, RAS

① द.स.ली \* बनाम ① गणपत उर्फ मौलू \*  
 दावा बाबत चौबणा, म्याह निवेद्याता वीरगार्ड इतलनी

मुकदमा नं. 20 सन 2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महेपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बनवारी लाल जांगर गिनजानिव मुद्दई रूबरू श्री तपेश्वर

तैतवाल गिनजानिव मुद्दागलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तल ग्राम हमीपुठ कलां तहसील खर्गोला अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 199,


201, 207, 212, 302, 306, 321 कला 4.53 हे. में उत्तिवारी सं. 1 के

नाम दर्ज 1/3 हिस्सा लै उत्तिवारी सं. 1 का नाम हजफ किया जाऊ

4/5 हिस्सा का वादीगण को एवं 1/5 हिस्सा का उत्तिवारी सं. 1 को \*

निज  गुबलिंग  बाबत   
 खर्चा इस मुकदमें के मय रूद बशरह  फीसदी जलबना आज की तारीख से  
 तारीख अदायगी तक  का अदा करें।

यसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 06 सन 2019 को



दस्तखत  
 सहायक कलक्टर  
 (फारस ट्रेक) खर्गोला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

1 खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

\* पत्नी गौल  
 ② देवराज ③ श्रीराम ④ रामगोपाल पुत्रगण गौल  
 समस्त जाति जाट निवासी हमीरपुर कलां तहसील खण्डेला  
 जिला सीकर राज.।  
 - वादीगण

बनाम

\* पुत्र गौल जाति जाट निवासी हमीरपुर कलां तहसील  
 खण्डेला जिला सीकर राज.।

② मूषिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज.।

③ पंजाब बैरानल बैंक शाखा कांक्ट जीए मैनेजर।

- उत्तिवादीगण

\* आदेशानुसार घोषित किया जाता है। तब ग्राम  
 सुखविहं का बास तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि मूषि  
 ख. नं. 267, 288, 289 एका 1.97 है. में वादी का  
 नाम "गोपाल" के स्थान पर "रामगोपाल" हिस्सा 1/5  
 दुबस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में  
 अमल दलान्त हो।

10/6/19



सहायक कलेक्टर  
 (फारट डेक) खण्डेला